



| | | | |
|---|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 Website: www.ukpsc.gov.in</p> |  | <p>(01334) 244143 (01334) 244282 07060002410</p> |
| विज्ञापन संख्या :: A-2/E-2/Lower Subordinate/2021 | | | |

सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021
(Combined State (Civil) Lower Subordinate Service Examination- 2021)

| | |
|---|--|
| विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | - 09, अगस्त, 2021 |
| ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि | - 29, अगस्त, 2021 (रात्रि 11.59.59 बजे तक) |
| आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि | - 29, अगस्त, 2021 (रात्रि 11.59.59 बजे तक) |

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें वह कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 29 अगस्त, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

| | |
|-----|--|
| 5. | आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:-पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। |
| 6. | प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन-पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। |
| 7. | अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए <u>परिशिष्ट-01</u> , परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-02</u> , पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-03</u> , आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-04</u> तथा न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-05</u> का अवलोकन करें। |
| 8. | आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकार) से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। |
| 9. | अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। |
| 10. | प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-05 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा। |
| 11. | प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व मुख्य व साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। |
| 12. | प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से निर्धारित परीक्षा शुल्क समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित जमा करना अनिवार्य होगा। |

| | |
|-----|---|
| 13. | ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाईन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। |
|-----|---|

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं।

02. रिक्तियों का विवरण :- सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत विभिन्न पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 190 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :-

ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण का विवरण :-

| क्र० सं० | विभाग | पदनाम | कुल रिक्त पद | ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण | | | | | क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण |
|----------|--|------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|---|
| | | | | सामान्य | अनु० जाति | अनु० जन जाति | अ०पि० वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | |
| 01 | राजस्व विभाग (Revenue Department) | नायब तहसीलदार (Nayab Tehsildar) | 35 | 22 | 06 | 00 | 04 | 03 | उ०म०-11 (07 अनारक्षित, 02 अनु० जाति, 02 ओ०बी०सी०) डी०एफ०एफ०-01 (अनारक्षित) दिव्यांग-02 (01 अनारक्षित, 01 ओ०बी०सी०) (OL, OA, PB, PD) पूर्व सैनिक-01 (अनारक्षित) अनाथ बच्चे-02 (अनारक्षित) |
| 02 | गृह विभाग (Home Department) | उप कारापाल (Deputy Jailor) | 27 | 14 | 08 | 00 | 02 | 03 | उ०म०-08 (04 अनारक्षित, 03 अनु० जाति, 01 ई०डब्ल्यू०एस०) पूर्व सैनिक-01 (अनारक्षित) अनाथ बच्चे-01 (अनारक्षित) |
| 03 | खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग (Food Civil Supply And Consumer Affairs Department) | पूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector) | 28 | 03 | 12 | 03 | 09 | 01 | उ०म०-08 (01 अनारक्षित, 03 अनु० जाति, 01 अनु. जनजाति 02 ओ०बी०सी०, 01 ई०डब्ल्यू०एस०) दिव्यांग-03 (01 अनारक्षित, 01 अनु० जाति, 01 ओ०बी०सी०) (OA, PB, PD) पूर्व सैनिक-01 (01 अनु० जाति) |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|----|----|----|----|----|--|
| | | विपणन निरीक्षक (Marketing Inspector) | 50 | 26 | 10 | 02 | 08 | 04 | उ०म०-14 (07 अनारक्षित, 03 अनु० जाति, 03 ओ०बी०सी०, 01 ई०डब्लू०एस०) दिव्यांग-03 (02 अनारक्षित, 01 अनु० जाति) (OA,PB,PD) पूर्व सैनिक-04 (02 अनारक्षित, 01 अनु० जाति, 01 ओ०बी०सी०) अनाथ बच्चे-01 (अनारक्षित) |
| 04 | श्रम विभाग (Labour Department) | श्रम प्रवर्तन अधिकारी (Labour Enforcement Officer) | 09 | 01 | 03 | 01 | 02 | 02 | - |
| 05 | आबकारी विभाग (Excise Department) | आबकारी निरीक्षक (Excise Inspector) | 10 | 05 | 04 | 00 | 01 | 00 | उ०म०-02 (01 अनारक्षित, 01 अनु० जाति) पूर्व सैनिक-01 (अनारक्षित) अनाथ बच्चे-01 (01 अनारक्षित) |
| 06 | पंचायतीराज विभाग (Panchayati Raj Department) | कर निरीक्षक (Tax Inspector) | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | - |
| 07 | गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग (Sugarcane Development & Sugar Inds. Department) | ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (Senior Cane Development Inspector) | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | - |
| | | गन्ना विकास निरीक्षक (Cane Development Inspector) | 23 | 20 | 01 | 00 | 01 | 01 | उ०म०-02 अनारक्षित, 01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। पूर्व सैनिक-01 अनारक्षित अनाथ बच्चे-01 अनारक्षित |
| | | खाण्डसारी निरीक्षक (Khandsari Inspector) | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | उ०म०-01 अनारक्षित। |

(3) उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान, पद का स्वरूप शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक योग्यता का विवरण निम्नवत् है:-

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 01. | <u>नायब तहसीलदार-</u> | | |
| | कुल पदों की संख्या | - | 35 पद |
| | पद का स्वरूप | - | समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त |
| | वेतनमान | - | रु0 44,900-1,42,400 (लेवल-07) |
| | शैक्षिक अर्हता | - | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता। |
| | अधिमानी अर्हता | - | (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या |
| | | | (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 02. | <u>उप कारापाल-</u> | | |
| | कुल पदों की संख्या | - | 27 पद |
| | पद का स्वरूप | - | समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त |
| | वेतनमान | - | 35,400-1,12,400 (लेवल-06) |
| | शैक्षिक अर्हता | - | (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। |
| | | - | (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। |
| | अधिमानी अर्हता | - | (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या |
| | | - | (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी दिया जायेगा। |
| | अन्य अनिवार्य अर्हता (यथा शारीरिक दक्षता) | - | (एक) पुरुष- पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 165 से0मी0 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 160 से0मी0 एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 157.5 से0मी0 होनी चाहियें। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सीने की माप, छाती बिना फुलाये 78.8 से0मी0 तथा फुलाने पर 83.8 से0मी0, पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76.3 से0मी0 तथा फुलाने पर 81.3 से0मी0 होनी चाहिये। |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | | दृष्टि:- 6/6 |
| | | | (दो) महिला- पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य/पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 152 से0मी0 और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 147 से0मी0 होनी चाहिये। सभी के लिये वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम अनिवार्य है। |
| | | | दृष्टि:- 6/6 |
| | टिप्पणी:- अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिये विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायेंगे। | | |
| 03. | पूर्ति निरीक्षक- | | |
| | कुल पदों की संख्या | - | 28 पद |
| | पद का स्वरूप | - | समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त |
| | वेतनमान | - | रु0 35,400-1,12,400 (लेवल-06) |
| | शैक्षिक अर्हता | - | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। |
| | अधिमानी अर्हता | - | (1) ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। अथवा |
| | | - | (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन0एस0एस0 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातों के समान होते हुये भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। |

| | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 04. | विपणन निरीक्षक:- | | |
| | कुल पदों की संख्या | - | 50 पद |
| | पद का स्वरूप | - | समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त |
| | वेतनमान | - | रु0 35400-112400 (लेवल-6) |
| | शैक्षिक अर्हता | - | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। |
| | अधिमानी अर्हता | - | (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या |
| | | | (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|--|
| 05. | <u>श्रम प्रवर्तन अधिकारी</u> | | |
| | कुल पदों की संख्या | — | 09 पद |
| | पद का स्वरूप | — | समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त |
| | वेतनमान | — | रु0 35,400—1,12,400 (लेवल—06) |
| | शैक्षिक अर्हता | — | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। |
| | अधिमानी अर्हता | — | (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा की हो, या |
| | | — | (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी दिया जायेगा। |

| 06. | <u>आबकारी निरीक्षक—</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|--|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | कुल पदों की संख्या | — | 10 पद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पद का स्वरूप | — | समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वेतनमान | — | रु0 44,900—1,42,400 (लेवल—07) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | शैक्षिक अर्हता | — | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अधिमानी अर्हता | — | (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी दिया जायेगा। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य अनिवार्य अर्हता (यथा शारीरिक स्वस्थता):— | | <p>(क) ऊंचाई:—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>पुरुष अभ्यर्थी</th> <th>महिला अभ्यर्थिनी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य/अन्य वर्ग</td> <td>167.60 से.मी.</td> <td>152 से.मी.</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति</td> <td>160.00 से.मी.</td> <td>147 से.मी.</td> </tr> <tr> <td>पर्वतीय क्षेत्र</td> <td>162.60 से.मी.</td> <td>147 से.मी.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ख) छाती (सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए):—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>बिना फुलाये</th> <th>फुलाये जाने पर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य/अन्य वर्ग</td> <td>78.8 से.मी.</td> <td>83.8 से.मी.</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति</td> <td>76.3 से.मी.</td> <td>81.3 से.मी.</td> </tr> <tr> <td>पर्वतीय क्षेत्र</td> <td>76.3 से.मी.</td> <td>81.3 से.मी.</td> </tr> </tbody> </table> <p>न्यूनतम फुलाव 5 से0मी0 अनिवार्य है।</p> <p>(ग) शारीरिक वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये):— 45 कि0ग्रा0</p> | | पुरुष अभ्यर्थी | महिला अभ्यर्थिनी | सामान्य/अन्य वर्ग | 167.60 से.मी. | 152 से.मी. | अनुसूचित जाति | 160.00 से.मी. | 147 से.मी. | पर्वतीय क्षेत्र | 162.60 से.मी. | 147 से.मी. | | बिना फुलाये | फुलाये जाने पर | सामान्य/अन्य वर्ग | 78.8 से.मी. | 83.8 से.मी. | अनुसूचित जाति | 76.3 से.मी. | 81.3 से.मी. | पर्वतीय क्षेत्र | 76.3 से.मी. | 81.3 से.मी. |
| | पुरुष अभ्यर्थी | महिला अभ्यर्थिनी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य/अन्य वर्ग | 167.60 से.मी. | 152 से.मी. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अनुसूचित जाति | 160.00 से.मी. | 147 से.मी. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पर्वतीय क्षेत्र | 162.60 से.मी. | 147 से.मी. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बिना फुलाये | फुलाये जाने पर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सामान्य/अन्य वर्ग | 78.8 से.मी. | 83.8 से.मी. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अनुसूचित जाति | 76.3 से.मी. | 81.3 से.मी. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पर्वतीय क्षेत्र | 76.3 से.मी. | 81.3 से.मी. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|--------------------|---|--|
| 07. | <u>कर अधिकारी-</u> | | |
| | कुल पदों की संख्या | - | 02 पद |
| | पद का स्वरूप | - | समूह 'ग' अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त |
| | वेतनमान | - | रु0 35,400-1,12,400 (लेवल-06) |
| | शैक्षिक अर्हता | - | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा ऐसी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|----|---|
| 08. | <u>ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक-</u> | | |
| | कुल पदों की संख्या | :: | 02 पद |
| | पद का स्वरूप | :: | अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह-'ग') |
| | वेतनमान | :: | 35,400-1,12,400, लेवल-06 |
| | शैक्षिक अर्हताए | :: | (01) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि रखता है। (02) ऐसे अभ्यर्थी को जो, कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो अन्य बातों के समान होने पर समूह एक-सामान्य और समूह दो-सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। |
| | अधिमाननी अर्हता | :: | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :- (क) प्रदेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) की "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |

| | | | |
|-----|------------------------------|----|--|
| 09. | <u>गन्ना विकास निरीक्षक-</u> | | |
| | पदों की संख्या | :: | 23 पद |
| | वेतनमान | :: | 29,200-92,300, लेवल-05 |
| | पद का स्वरूप | :: | अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह-'ग') |
| | शैक्षिक अर्हताए | :: | (01) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि रखता है। (02) ऐसे अभ्यर्थी को जो, कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो अन्य बातों के समान होने पर समूह एक-सामान्य और समूह दो-सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। |
| | अधिमाननी अर्हता | :: | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :- |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | (क) प्रदेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |
|--|--|--|--|

| | | | |
|-----|--------------------|----|--|
| 10. | खाण्डसारी निरीक्षक | | |
| | पदों की संख्या | :: | 04 पद |
| | वेतनमान | :: | 29,200-92,300, लेवल-05 |
| | पद का स्वरूप | :: | अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह-'ग') |
| | शैक्षिक अर्हताएँ | :: | (01) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। |
| | अधिमानी अर्हता | :: | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :- (क) प्रदेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय केडेट कोर (NCC) का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (ग) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। |

04. आयु :- आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: **191/XXX(2)/2021-30(10)/2019, दिनांक 26 जुलाई, 2021** के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयुसीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता-(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है :- शासन की अधिसूचना संख्या- 164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित

नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो अजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक- 1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक- 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

05. अधिकतम आयु सीमा में छूट :- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

पूर्व सैनिकों के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 406/XXX(2)/2021-55(41)/2004, दिनांक 18.01.2021 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित पूर्व सैनिकों को समूह 'ग' के उच्च पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि- *The Ex-serviceman candidates who have already secured employment under the State Govt. in Group C & D will be permitted the benefit*

of age relaxation as prescribed for Ex-serviceman for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C & D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for Ex-serviceman in State Govt. jobs.

06. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

07. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

08. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के **परिशिष्ट-04** में उल्लिखित हैं।

09. राष्ट्रीयता :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे के सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

स्पष्टीकरण :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

10. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी— संघ, सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रास्थिति— सेवा में नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो;

12. शारीरिक स्वस्थता— किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड में उपस्थित होकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आरक्षण :- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(घ) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ङ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-4" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-4" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित

शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(च) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है। जो भी पद विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(छ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या— 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या— 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के ***O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease*** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा कराना होगा।

(ज) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(झ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ञ) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(ट) शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत परिशिष्ट-4 के साथ संलग्न है।

14. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** page पर **Instructions for filling up online application form** को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।

(3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Confirm Filled Information** फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered** **Mobile No** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के लिंक पर क्लिक करें।

(5) **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पर क्लिक कर फॉर्म पर **Post Information** के अन्तर्गत **Post Applying for** में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं **Tick** करें। फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Details** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह **Intermediate, Graduate,** शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Submit** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo,** **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु **Click here to Make Payment** पर क्लिक करें। **I Agree** पर **Tick** करने के पश्चात **Pay Now** पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की

कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। किन्तु इस दशा में रद्द किये गये आवेदन-पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Back** बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (Cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समक्ष परिक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट: (1) आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात् **Update Personal Information** पर क्लिक कर, **Personal Information**, **Update Educational Information** पर क्लिक कर, **Educational Qualification** एवं **Reload Images** पर क्लिक कर Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नंबर को **Edit/Update** नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई-मेल कर सकते हैं।

(2) आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक श्रेणी हेतु 26.55 रुपये (अनाथ को छोड़कर) है।)

(4) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत् अनाथ अभ्यर्थियों हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क देय नहीं है। परन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र में डाटा भरने के बाद **Click here for Final Submission** पर क्लिक कर

आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

15. शुल्क :- प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

| क्र०सं० (Sr. No.) | श्रेणी (Category) | आवेदन- शुल्क (Applicati on Fees) | प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax) | कुल शुल्क (Total Fees) |
|-------------------------|--|---|---|---------------------------|
| 01. | अनारक्षित | रु० 150 | रु० 26.55 | रु० 176.55 |
| 02. | उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | रु० 150 | रु० 26.55 | रु० 176.55 |
| 03. | उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग | रु० 150 | रु० 26.55 | रु० 176.55 |
| 04. | उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति | रु० 60 | रु० 26.55 | रु० 86.55 |
| 05. | उत्तराखण्ड अनुसूचितजनजाति | रु० 60 | रु० 26.55 | रु० 86.55 |
| 06. | पूर्व सैनिक अभ्यर्थी | रु० 150 | रु० 26.55 | रु० 176.55 |
| 07. | उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे | कोई शुल्क नहीं | कोई शुल्क नहीं | — |
| 08. | उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (विषयवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग) | कोई शुल्क नहीं | रु० 26.55 | रु० 26.55 |

नोट :- उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

16. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों / मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व तत्समय आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा कराये जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण (General Studies and General Aptitude Test) की 150 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(09) स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, खटीमा, बागेश्वर, चम्पावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(10) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(12) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा

स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(14) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(15) परीक्षा केन्द्र में आचरण— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(16) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) — सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(17) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मुख्य (लिखित) परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों व अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के दौरान दी जाने वाली ऑनलाइन वरीयता के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(18) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(19) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(20) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(21) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(22) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 यथा संशोधित -2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(24) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(25) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र

या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(26) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(27) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(28) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के

पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(29) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(30) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(31) अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(32) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-

(कर्मन्द् सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट-1

सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा परीक्षा-2021 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है:-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें-

| S.No. | Center | City Code |
|-------|------------------|-----------|
| 01. | Haldwani | 01 |
| 02. | Haridwar | 02 |
| 03. | Roorkee | 03 |
| 04. | Dehradun | 04 |
| 05. | Rishikesh | 05 |
| 06. | Pauri Garhwal | 06 |
| 07. | Srinagar | 07 |
| 08. | Almora | 08 |
| 09. | Udhamsingh Nagar | 09 |
| 10. | Khatima | 10 |
| 11. | Bageshwar | 11 |
| 12. | Champawat | 12 |
| 13. | Uttarkashi | 13 |
| 14. | Tehri Garhwal | 14 |
| 15. | Rudraprayag | 15 |
| 16. | Chamoli | 16 |
| 17. | Pithoragarh | 17 |

नोट:- अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटायी-बढ़ायी जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

परीक्षा योजना:- प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा-

(1) प्रारंभिक परीक्षा-केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

(2) मुख्य परीक्षा-

(क) लिखित परीक्षा (विषयपरक प्रकार की)।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)।

1. प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)-

| विषय | अधिकतम अंक | समय (घण्टे) | प्रश्नों की संख्या |
|---|------------|-------------|--------------------|
| सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण | 150 | 02 | 150 |

नोट:-प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मैरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जायेंगे।

2. मुख्य परीक्षा -(क) लिखित परीक्षा (विषयपरक)

| प्रश्न पत्र | विषय | अधिकतम अंक | समय (घण्टे) | प्रश्नों की संख्या |
|---------------|------------------|------------|-------------|--------------------|
| प्रश्न पत्र-1 | सामान्य अध्ययन | 200 | 03 | 20 |
| प्रश्न पत्र-2 | निबन्ध एवं आलेखन | 200 | 03 | 05 |

नोट:- निबन्ध एवं आलेखन के प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) अधिकतम् - 50 अंक ।

Appendix-2

Plan of Examination – There will be following tiers of the examinations –

1- Preliminary Examination- Only one paper of General Study & General Aptitude Test (Objective Type)

2- Main Examination-

A- Written Examination (Descriptive Type)

B- Personality Test (Interview)

1- Preliminary Examination- (Objective Type)

| Subject | Maximum Marks | Time (Hours) | No. of Questions |
|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| General Study & General Aptitude Test | 150 | 02 | 150 |

Note : Marks obtained in Preliminary Examination shall not be added with the marks obtained in Main written Examination for determining the merit.

2- Main Examination – (A) Written Examination (Subjective Type)-

| Paper | Subject | Maximum Marks | Time (Hours) | No. of Questions |
|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Paper –I | General Study | 200 | 03 | 20 |
| Paper- II | Essay & Drafting | 200 | 03 | 05 |

Note : It is essential to obtain minimum 35% marks in Essay and Drafting paper.

(B) Personality Test (Interview) Maximum Marks – 50

परिशिष्ट-3

अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय-2 घंटे

अधिकतम अंक-150

खण्ड-1 : सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक-100

कुल प्रश्न-100

- 1 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी :** सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी सम्बन्धी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न हो।
- 2 भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन :** भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे।
- 3 भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था :** भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे।
- 4 भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :** इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक पारस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे।

- 5 सम-सामयिक घटनाएं :** इसके अन्तर्गत प्रश्न समसामयिक उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे।
- 6 उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में; विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।
- 7 उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान-पान, कला शिल्प ; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन-स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी-साहित्य एवं लोक-साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।
- 8 उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी:** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र। सिंचाई के साधन। कृषि जोतें। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वर्गीकरण, धनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।
- 9 उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश।**
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश:-** उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती-राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ— जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बेनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल—

उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊँ-उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि-सुधार, लैंड टैन्डोर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस-व्यवस्था।

आर्थिक परिवेश:- सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।

10 आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन:- मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवम् प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जडी-बूटी, कृषि, पशुधन, जल-विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण) संसाधनों के उपयोग की स्थिति।

उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ/आर्थिक क्रियायें एवं इनका राज्य जी० डी० पी० में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएँ तथा कृषि मन्डियां, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

खण्ड-2 : सामान्य बुद्धि परीक्षण

अधिकतम अंक-50

कुल प्रश्न-50

1 सामान्य बुद्धिमता : इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

Appendix-3

Lower Subordinate Services Examination Syllabus

Preliminary Examination

General Studies and General Aptitude Test (Objective Type)

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 150

Part -1 : General Studies

Maximum Marks-100

Total Questions-100

- 1 General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation and experience as may be expected from an educated person who has not made a special study of any scientific or computer discipline.
- 2 History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on broad understanding of ancient, mediaeval and modern India's political, social, economic, and cultural aspects and India's Freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.
- 3 Indian polity and Economy:** Questions on Indian polity and economy will be based on Indian polity, Constitution, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning.
- 4 Geography and Demography of India:** Questions will be based on a broad understanding of geographical, ecological and socio-economic aspects and demography of India.
- 5 Current Events:** Questions will be based on important Uttarakhand State, National and International current events including games.
- 6 History of Uttarakand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments; movements for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in National and International fields, especially in Armed forces; different social reform

movements, and different welfare programmes of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.

- 7 **Culture of Uttarakhand:** Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature and folk literature, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, food habits, art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, State steps taken by Uttarakhand for the development of culture.
- 8 **Geography and Demography of Uttarakhand :** Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya. Rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture. Major crops and crop rotation. Means of irrigation. Agricultural holdings. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out-migration.
- 9 **Economic, Political and Administrative Background of Uttarakhand :**
Political and Administrative Background- Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayati raj, Community development and Co-operatives.

The historical background of the administrative system in Uttarakhand- Land management system under Gorkhas rule and British rule, district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, Kesar-i-hind (benap land) Nazul, nayabad settlements) Modern period Uttar Pradesh and Uttarakhand-Kumaun land reforms, changes in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamindari Abolition Act, revenue police system.

Economic background – Indo-Tibetan trade from border districts, the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consolidation of holdings, Begar and Dadwar systems.

- 10 **Economic and natural resources :** Human resources, Education system of the State and important educational institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydro electricity, minerals, tourism, industries (Small and Village), the position of utilization of resources.
Various schemes being implemented in Uttarakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic

activities and their contribution in the State GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and its problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of Uttarakhand State.

Part -2 : General Aptitude Test

Maximum Marks-50

Total Questions-50

- 1 General Intelligence:** The questions on general intelligence will cover, both, verbal and non verbal types, including questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions.

परिशिष्ट-3

अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम

मुख्य लिखित परीक्षा (विषयपरख प्रकार)

प्रश्न पत्र-1 सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक- 200

समय- 03 घण्टे

टिप्पणी- इस प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द है।

- 1. अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं :-** इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे- गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद तथा पृथकतावादी आन्दोलन, नक्सलवाद, माओवाद, सलवा जुडम, राष्ट्रीय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द्र और अन्तराष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति-मुद्दे एवं विवाद; भुमण्डलीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव एवं वैश्विक खाद्य संकट सम्मिलित होंगे।
- 2. खेल-कूद :-**विश्व, भारत एवं उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं, पुरुस्कार एवं सम्बन्धित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न होंगे।
- 3. भारत का इतिहास :-** भारत के प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अन्तर्गत भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी; भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति।
- 4. भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान :-** इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हों। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक सम्पदा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्प संख्यक समुदाय के लिये बनाये गये विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।
- 5. भारतीय राज्यव्यवस्था और अर्थव्यवस्था :-** इसके अन्तर्गत भारतीय राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
- 6. भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :-** इसके अन्तर्गत भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकीय पहलुओं की समझ से संबन्धित प्रश्न होंगे।
- 7. सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण :-** सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अन्तर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग जिसमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे

प्रश्न होंगे, जिसकी किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएँ एवं समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, अनुवांशिक अभियंत्रण के मानवहित में अनुप्रयोग, पशु, पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोक थाम।

8. **भारतीय कृषि:**— इसके अनतर्गत फसलों, श्वेत, पीत एवं हरित क्रांति, कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में योगदान, सेज, कृषि के क्षेत्र में नैनो एवं बाँयो प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय किसानों की समस्याएँ एवं भूमि सुधार पर आधारित प्रश्न होंगे।
9. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :-** इस भाग में उम्मीदवारों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास तथा कम्प्यूटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा साइबर अपराध के ज्ञान का परीक्षण होगा।
10. **उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई० तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई० तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में; विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।
11. **उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियाँ एवं जनजातियाँ, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान-पान, कला शिल्प ; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन-स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी-साहित्य एवं लोक-साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।
12. **उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी:** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। उत्तराखण्ड में नदियाँ, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र। सिंचाई के साधन। कृषि जोतें। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएँ एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण।

उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वर्गीकरण, धनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

13. उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश :

राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश:- उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती-राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ— जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बेनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल— उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊँ—उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि-सुधार, लैंड टैन्डोर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस—व्यवस्था।

आर्थिक परिवेश:- सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।

14. आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन:- मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवम् प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जडी-बूटी, कृषि, पशुधन, जल-विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण) संसाधनों के उपयोग की स्थिति।

उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ/आर्थिक क्रियायें एवं इनका राज्य जी० डी० पी० में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मन्डियां, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

15. सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र :- इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा।

Appendix-3

Lower Subordinate Services Examination Syllabus

Main Examination (Descriptive Type)

Paper-1 General Studies

Maximum Marks- 200

Time- 3 Hours

Note- This paper carries 20 questions. Each question carries 10 marks. All questions are compulsory. The word limit for each question is 100 words.

- 1- Current events of International, National and State Importance:** It will cover events of national importance like coalition government system, economic liberalization, economic recession, regional extremism and separatist movements – Naxalism; Maoism and Salwa judum; national security, internal security, communal harmony, and international perspectives like- nuclear policy issues and conflicts; impact of globalization on the socio-economic conditions of developing countries and global food crisis.
- 2- Sports and Games:** Questions based on important sports, games and tournaments, awards and personalities of the world, India and Uttarakhand will be asked.
- 3- History of India:** History of India will cover a broad understanding of ancient, mediaeval and modern India's political, socio-economic and cultural aspects; Indian freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.
- 4- Elementary Knowledge of Indian Constitution:** Questions will be set on Indian Constitution as may be expected from an educated person who has not made a special study of the Constitution. RTI, Right to education, Intellectual property right and Consumer protection rights. Different Welfare programmes and Acts passed for the weaker and minority sections of society and different National and State Commissions for their upliftment.
- 5- Indian polity and Economy:** The questions will cover Indian polity, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning.
- 6- Geography of India and Demography:** It will include questions on broad understanding of geographical, ecological, socio-economic and demographic aspects of India.

- 7- **General Science and Environment:** Questions on General science and environment will cover general understanding and application of science, including matters of day to day observation and experience, as may be expected from an educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline, global environmental problems and solutions, nutritional requirements for human growth, application of genetic engineering in human welfare; diseases of cattle, birds, plants and their prevention.
- 8- **Indian Agriculture:** Questions will cover the general awareness of candidates in respect of crops, white, yellow and green revolutions, agricultural production and its contribution to rural economy, SEZ, use of Nano and bio-technologies in the field of agriculture, problems of Indian farmers, and land reforms.
- 9- **Science and Technology:** Questions will be based on candidate's awareness of the development in the field of science and technology, information technology, space technology, electronic media, basic knowledge of computers and cyber crimes.
- 10- **History of Uttarakhand :** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments; movement for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in national and international fields, especially in Armed forces; different social reform movements, and different welfare programmes of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.
- 11- **Culture of Uttarakhand :** Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature and folk literature, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, food habits, Art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of the Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, State steps taken by Uttarakhand for the development of culture.
- 12- **Geography and Demography of Uttarakhand :**
Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya. Rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture. Major crops and crop rotation. Means of irrigation. Agricultural holdings. Natural and man made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental

movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out-migration.

13- Economic, Political and Administrative Background of Uttarakhand:

Political and Administrative Background- Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayati raj, Community development and Co-operatives.

The historical background of the administrative system in Uttarakhand- Land management system under Gorkhas rule and British rule, district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, Kesar-i-hind (benap land) Nazul, nayabad settlements) Modern period- Uttar Pradesh and Uttarakhand-Kumaun land reforms, change in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamindari Abolition Act, revenue police system.

Economic background – Indo-Tibetan trade from border districts, the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consolidation of holdings, Begar and Dadwar systems.

14- Economic and natural resources : Human resources, Education system of the State and important educational institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydro electricity, minerals, tourism, industries (Small and Village) the position of utilization of resources.

Various schemes being implemented in Uttarakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic activities and their contribution in the State GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of Uttarakhand State.

15- Statistical analysis, graphs and diagrams: Questions will be based on candidate's ability to draw conclusions from information presented in statistical, graphical and diagrammatical form and to interpret them.

परिशिष्ट-3

प्रश्न पत्र- 2 निबन्ध एवं आलेखन (विषयपरख)

समय- 03 घण्टे

अधिकतम अंक- 200

1. निबन्ध -

50 अंक

निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 400 शब्दों में निबन्ध लिखिए।

अ- साहित्य और संस्कृति (Literature & Culture)

ब- सामाजिक क्षेत्र (Social Sphere) एवं राजनीतिक क्षेत्र (Political Sphere)

स- उत्तराखण्ड का सामाजिक क्षेत्र (Social Sphere) एवं राजनीतिक क्षेत्र (Political Sphere)

द- विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी (Science, Environment & Technology)

य- राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय घटनाक्रम (National & International Events)

र- प्राकृतिक आपदायें यथा भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि। (Natural Calamities like Land slide, Earthquake, Deluge, Drought etc.)

2. हिन्दी सारांश लेखन (लगभग 300 शब्दों में)

(क) उचित शीर्षक- 05 अंक

(ख) मूल गद्यांश का सारांश- 30 अंक

(ग) तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या- 15 अंक

}

50 अंक

3. हिन्दी आलेखन-

50 अंक

शासकीय, अर्द्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना टिप्पणी।

4. हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद -

25 अंक

5. अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद -

25 अंक

Personality Test (Interview) – 50 Marks

परिशिष्ट-04

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम .

..... तहसील नगर जिला

..... उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के

व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्रामतहसील नगर

..... जिलामें सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री

निवासी ग्राम तहसील नगर जिला

..... उत्तराखण्ड कीजाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान
(अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान
(अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा

अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसीलनगर ...

.....जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या- 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम

.....तहसील नगर

.... जिलाउत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993
जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और
श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)

पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त अधिनियम,1993
के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

शासनादेश संख्या— 256 / 18—प्रा०शि०—2—88—20 / 82, दिनांक 16.07.
1982 ऊँचाई की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने
वाला प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ग्राम

तहसील/तालुका जिला— राज्य

के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी,
लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल
प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी
है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाण—पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
का नाम
पदनाम
पदनाम की मुहर

नोट :: कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगायें।

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या -

तारीख

निःशक्तता प्रमाण - पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (viii) डब्लू-चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो **Blindness** (अंधता), **locomoter disability (Both arm affected-BA)** (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा **cerebral palsy** (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-4(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-4(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-1** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-4(1)** प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को **talking calculator** की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (**trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.**) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
(name of the candidate with disability), a person with
..... (nature and percentage of disability as mentioned
in the certificate of disability), S/o/D/o, a resident
of (Village/District/State) and to state that he/she
has physical limitation which hampers his/her writing capabilities
owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with

Seal :

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant
stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist,
Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)**

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with (name of the disability) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No. at (name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XX.VI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

अवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साइज का
प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट-05

सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

| क्र० सं० | आरक्षण की श्रेणी | मुख्य/लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में। | सम्पूर्ण प्रवीणता-सूची तैयार किये जाने परीक्षा (लिखित परीक्षा) एवं साक्षात्कार) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में) |
|----------|--|---|---|
| 1. | अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी | 40% | 45% |
| 2. | अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी | 35% | 40% |
| 3. | अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी | 30% | 35% |
| 4. | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 35% | 40% |

नोट :: सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के क्रम में प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।